भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 907

दिनांक 27 जून , 2019 / 6 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों पर बायोमीट्रिक से पहुंच

907. **श्री हिबी इडन:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विमानपत्तनों पर यात्रियों के लिए बायोमीट्रिक आधरित डिजिटल प्रक्रिया आरंभ करने की योजना बना रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इस पहल से संपूर्ण देश में कागज- रहित और निर्बाध विमान यात्रा को बढ़ावा मिलेगा;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या यह सुविधा आधार से जुड़ी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ङ.): डिजी यात्रा, भारतीय हवाईअड्डों पर मल्टीपल टच प्वाइंट्स पर टिकट और पहचान पत्र के सत्यापन की आवश्यकता के बिना यात्रियों के अबाध और परेशानी रहित प्रक्रियाकरण मुहैया कराने के लिए नागर विमानन मंत्रालय दवारा की गई एक पहल है। यात्री अबाध यात्रा अनभव के लिए इस कार्यक्रम में स्वयं का नामांकन करने का चयन कर सकते हैं। उनके टिकट की पहचान और सत्यापन एक बायोमीट्रिक सिस्टम दवारा किया जाना है। यह प्रणाली कागज के प्रयोग को हतोत्साहित करती है, तथापि, इस कार्यक्रम में मेनुअल प्रक्रिया के विकल्प की परिकल्पना भी की गई है। यह सुविधा आधार के उपयोग पर जोर नहीं देती, तथापि, आधार कार्ड को पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयोग करने का विकल्प उपलब्ध है।

*****